माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने युवा नीति और डिजिटल कंटेंट अवार्ड की घोषणा की

युवाओं के सपनों को साकार करने सरकार प्रतिबद्ध

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के दो करोड़ से अधिक युवा विकसित भारत-2047 के निर्माण के साथ प्रदेश की समृद्धि के भी सूत्रधार बनेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। कॉन्क्लेव से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश की युवा नीति तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता और उद्यमिता विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं से रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनने का आह्वान किया।

विकसित मप्र के लिए युवाओं ने साझा किए विचार

माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव में युवाओं ने शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और उद्यमिता से जुड़े संकल्प-पत्र प्रस्तुत किए। कशिश आहूजा और संकल्प सिंह चौहान ने शिक्षा एवं कौशल विकास, जबकि अमीक अमानी ने खेल क्षेत्र से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। डॉ. महक भंडारी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आभा पहचान के माध्यम से अब सभी चिकित्सकीय प्रतिवेदन मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने युवाओं से सिंहस्थ-2028 में स्वयंसेवक बनकर सहयोग करने का आह्वान किया। सानिया जसवानी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े संकल्प-पत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति नवाचार के साथ विकसित मध्यप्रदेश-2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

माय यूथ - माय प्राउड कॉन्क्लेव की प्रमुख झलकियां

- भाबरा के लिए बाइक रैली और ओंकारेश्वर के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई।
- मुख्यमंत्री स्वयं बाइक पर सवार होकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया।
- हेलमेट पहनकर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया।
- इंदौरी व्यंजनों के स्टॉल युवाओं के आकर्षण का केंद्र बने।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति का आनंद लिया।
- युवाओं की कलाकृतियों और नवाचारों की सराहना की।

लाड़ली बहनों के खातों में आज पहुंचेगी 38वीं किश्त

नप्र, भोपालः भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की करीब 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी।

प्रदेश सरकार के अनुसार नवंबर 2025 से योजना की मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इसके बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह इसी दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जून 2023 में योजना शुरू होने के बाद जून 2026 तक 37 नियमित किश्तों का सफलतापूर्वक वितरण किया जा चुका है और अब लाभार्थियों को 38वीं किश्त की सौगात मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वे 238.96 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 40 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 83.33 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 नई लोककल्याणकारी परियोजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास भी करेंगे।

गोविंदपुरा में 72 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने किया भूमिपूजन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएंगी।

राज्यमंत्री शनिवार को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-66 स्थित इंद्रपुरी में करीब 72 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने नैनागिरी पार्क में 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल तथा खेड़ापति मंदिर से नैनागिरी कॉलोनी तक 40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके अलावा भारत नगर स्थित समर्पण पार्क में 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल का भूमिपूजन किया।

राज्यमंत्री ने इंद्रपुरी 'ए' सेक्टर के एकता पार्क में 3.80 लाख रुपये की लागत से पाथवे निर्माण और बाउंड्री वॉल की पुताई कार्य का शुभारंभ किया। वहीं, इंद्रपुरी 'बी' सेक्टर में 11 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य का भूमिपूजन करने के साथ पार्क की बाउंड्री वॉल और सीसी सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कार्यवाहक पदोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों पर मूल पद पर लौटने का संकट

पदोन्नति नियम-2025 लागू होने के बाद नियमित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, मानकों पर खरे नहीं उतरने वालों से प्रभार वापस होगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में पिछले लगभग पांच वर्षों से कार्यवाहक पदोन्नति के आधार पर उच्च पदों पर कार्य कर रहे करीब 15 हजार पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के सामने अब मूल पद पर लौटने की स्थिति बन सकती है। राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम-2025 लागू किए जाने के बाद पुलिस विभाग में नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

नए नियमों के अनुसार निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से कार्यवाहक प्रभार वापस लेकर उन्हें उनके मूल पद पर भेजा जाएगा। वर्ष 2016 से नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय तक रुकी रहने के कारण वर्ष 2021 से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यवाहक पदोन्नति देकर उच्च पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब नए नियम लागू होने के बाद ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है, जिससे विभाग में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

कार्यवाहक पदोन्नति वापस लेने की पहली बड़ी कार्रवाई पांढुर्णा जिले में की गई है। यहां पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के रूप में कार्य कर रहे 32 पुलिसकर्मियों का कार्यवाहक प्रभार समाप्त कर उन्हें पुनः आरक्षक पद पर पदस्थ करने के आदेश जारी किए हैं।

गुमशुदगी पर अब अनिवार्य होगी एफआईआर

नप्र, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश में महिला या पुरुष, किसी भी गुमशुदा व्यक्ति की सूचना मिलने पर संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। इससे पहले वर्ष 2012 में बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार मामले में केवल गुम नाबालिग बच्चों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान लागू किया गया था।

सामूहिक दुष्कर्मः तीन दोषियों को आजीवन कारावास

नप्र, भोपालः अशोकनगर जिले में 10 वर्षीय मूक-बधिर दिव्यांग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने तीनों दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये प्रतिकर प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में दर्ज इस मामले की सूचना मिलते ही अपराध पंजीबद्ध कर पीड़िता को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। पीड़िता के मूक-बधिर होने के कारण उसके कथन विधि के अनुसार सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की सहायता से दर्ज किए गए। जिससे न्यायिक प्रक्रिया में उसके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

शताब्दी एक्सप्रेस में एक्सपारी ब्रेड परोसने का मामला

यात्रियों ने खाद्य विषाक्तता की आशंका जताई, रेल मदद और उपभोक्ता आयोग में शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः दिल्ली से भोपाल आ रही 12002 नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस में शनिवार सुबह यात्रियों को नाश्ते में अवधि समाप्त ब्रेड परोसने का मामला सामने आया। सी-4 कोच के करीब 74 यात्रियों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, को ऐसी ब्रेड दी गई जिस पर उपयोग की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 अंकित थी। अधिकांश यात्री ब्रेड खा चुके थे। इसके बाद पैकेट पर तिथि देखने के बाद खाद्य विषाक्तता की आशंका जताई गई।

शिकायत के बाद उठे सवालः घटना के बाद कई यात्रियों ने रेल मदद अनुप्रयोग और ऑनलाइन उपभोक्ता आयोग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। एक यात्री ने बताया कि पीछे बैठे व्यक्ति ने ब्रेड के पैकेट पर अंकित उपयोग की अंतिम तिथि देखी, जिसके बाद मामले की जानकारी सभी को हुई। अन्य यात्रियों ने भी इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए रेलवे की खानपान व्यवस्था पर सवाल उठाए।

यात्रियों ने जताई लापरवाही की आशंका

यात्रियों का कहना है कि मामला केवल एक कोच तक सीमित नहीं था। कोच के बाहर रखे खानपान पैकेटों में भी उसी तिथि वाली ब्रेड मिली, जिससे आशंका व्यक्त की गई कि ट्रेन के अन्य कोचों में भी ऐसी ही ब्रेड परोसी गई होगी।

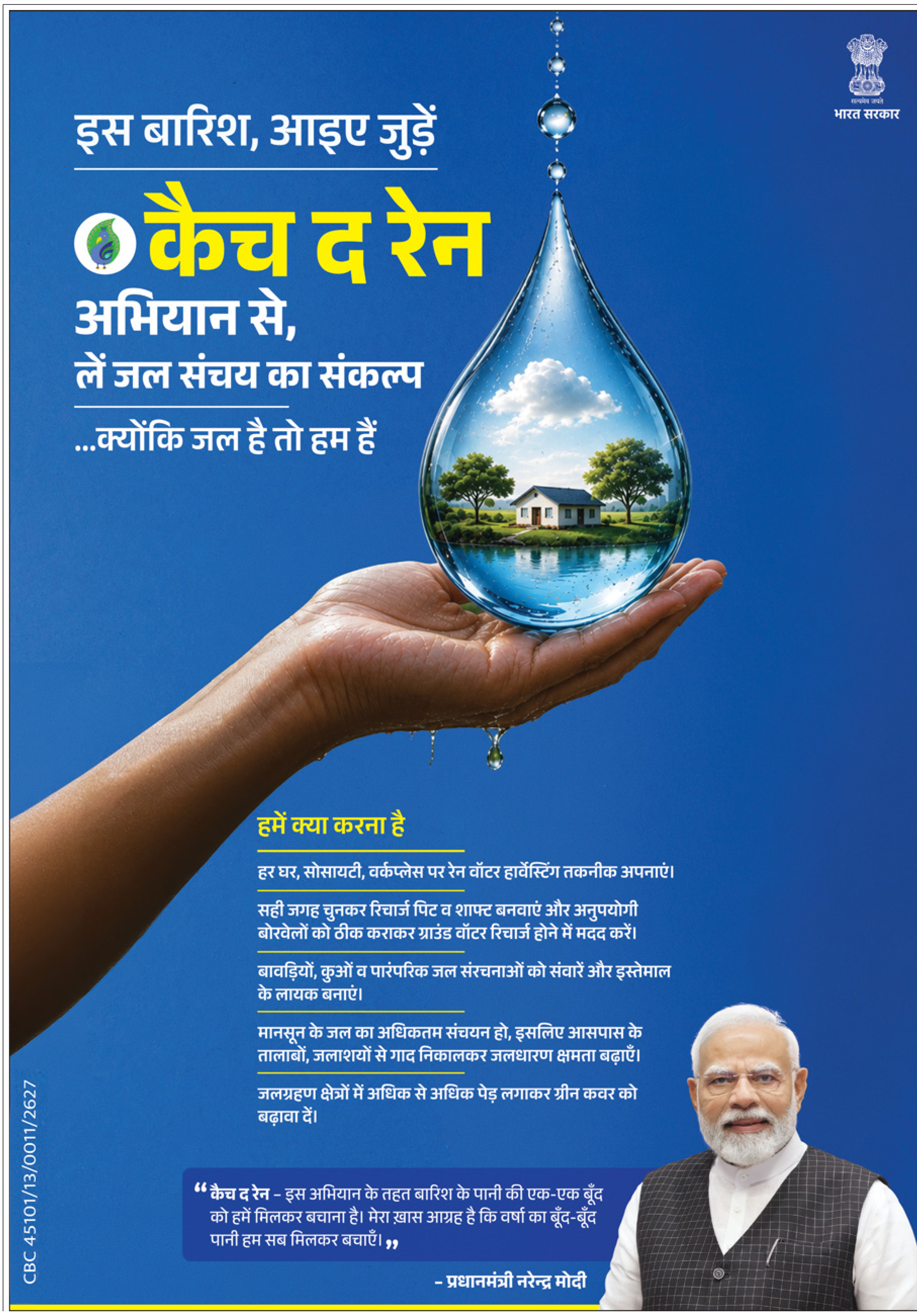

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादकः डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादकः अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com